पत्रांक : 2प० / मु० 3–120 / 2013 / 4775 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

अमिताभ वर्मा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी उप विकास आयुक्त,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक : 31 / 07 / 2013

विषय : **बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–17 (2)(ख) का दृढ़ता से पालन करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा– 17 (2)(ख) में स्पष्ट उल्लेख है कि मुखिया की अनुपस्थिति में मुखिया की सभी शक्तियों का प्रयोग, सभी कार्यों का निष्पादन एवं सभी कर्त्तव्यों का निर्वहन उप–मुखिया द्वारा किया जाएगा। लेकिन, जैसे ही मुखिया उपस्थित हो जायें, मुखिया अपने अधिकारों को स्वतः ग्रहण करते हुए अपने सभी कार्यों का सम्पादन, सभी कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख रहने के बावजूद भी कई ऐसे दृष्टांत विभाग के समक्ष आए हैं, जिसमें मुखिया के उपस्थित होने के बावजूद भी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला पदाधिकारी द्वारा मुखिया को प्रभार दिलाने हेतु विभाग से अनावश्यक पत्राचार किया जाता है तथा मुखिया की उपस्थिति के बावजूद उप–मुखिया से कार्य लिया जाता है। उप मुखिया द्वारा इस प्रकार की गई कार्रवाई अधिनियम, 2006 की धारा–17 (2)(ख) का उल्लंघन होने के कारण दंडनीय है।

अतः अनुरोध है कि कृपया विषयांकित अधिनियम का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा भविष्य में इस प्रकार के दृष्टांतों पर स्वयं अधिनियम में प्रावधानों के अनुरूप निर्णय लिया जाए।

विश्वासभाजन,

(अमिताभ वर्मा)
प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग।

D:\Anuj 2013\Dept. Misc. Letter.docx